



2026:AHC:67994

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या- 859 वर्ष 2026

बद्री प्रसाद दुबे और 4 अन्य अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य प्रतिपक्षी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता: अभिनव कुमार पांडे

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: जीत बहादुर सिंह, विनोद कुमार पांडेय, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 53

माननीय न्यायमूर्ति श्री अब्दुल शाहिद

1. आवेदक के लिए अधिवक्ता, राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता और प्रतिपक्षी संख्या-2 के अधिवक्ता को सुना।
2. विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. अधिनियम, प्रयागराज द्वारा पारित दिनांक 10.1.2025 के समन आदेश के साथ-साथ धारा 147, 323, 504, 506 IPC और एस.सी./एस.टी. अधिनियम, थाना-मेजा, जिला प्रयागराज की धारा 3(1)(द) और 3(1)(ध) के तहत केस अपराध संख्या-463/2022 से उत्पन्न विशेष सत्र विचारण संख्या-8/2025 में पूरी कार्यवाही को रद्द करने के लिए तत्काल आपराधिक अपील दायर की गई है।
3. अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक संख्या-1 की आयु 68 वर्ष है और अपीलकर्ता संख्या-2 की आयु 80 वर्ष है। प्राथमिकी में नामित व्यक्ति, सुशील दुबे को दोषमुक्त कर दिया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि प्राथमिकी आठ दिनों की देरी से दायर की गई है और शिकायत और धारा 161 द०प्र०स० के तहत दर्ज किए गए बयान के बीच विरोधाभास है। प्राथमिकी को झूठे और मनगढ़ंत आधार पर दर्ज किया गया है क्योंकि पक्षों के बीच एक नागरिक विवाद लंबित है। कोई चोट रिपोर्ट संलग्न नहीं है। प्राथमिकी में आरोप के अनुसार जाति से संबंधित किसी भी शब्द का उपयोग नहीं किया गया था। कथित घटना 4.8.2022 को बताई गई है और प्राथमिकी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12.8.2022 को (i) बद्री प्रसाद दुबे, (ii) मुन्नी दुबे, (iii) रामलोचन दुबे, (iv) सुशील, (v) गुड्डू दुबे और (vi) पिंटू दुबे के खिलाफ दर्ज की गई है।

4. प्रतिपक्षी संख्या-2 के अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि 4.7.2022 को सुबह लगभग 7:00 बजे, प्राथमिकी में सभी नामित व्यक्ति शिकायतकर्ता के दरवाजे पर लाठी-डंडा के साथ आए और उसे गालियां देने लगे। जब शिकायतकर्ता ने उन्हें गाली न देने के लिए रोका, तो उन्होंने उसे पैरों और मुक्कों से पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद, जब शिकायतकर्ता उसकी जान बचाने के लिए उसके घर में घुसी, तो सभी आरोपी व्यक्ति भी उसके घर में घुस गए और उसे पैरों और मुक्कों से पीटा। इसके बाद, वे उसे उसके घर के बाहर ले आए और उसे जातिवादी टिप्पणी के साथ संबोधित किया, "चमैन आपको अपनी सीमा के भीतर होना चाहिए और आपको नेता नहीं बनना चाहिए, अन्यथा हम आपको काटने के बाद फेंक देंगे और यहां तक कि आपका शव भी बरामद नहीं होगा"। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि विस्तृत जांच के बाद, बद्री प्रसाद दुबे, मुन्नी दुबे, रामलोचन @ हरिकांत, गुड्डू दुबे @ शशिकांत दुबे और पिंटू दुबे @ विनोद कुमार के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है।

5. राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता ने अपना जवाबी हलफनामा दायर किया है, जिसमें अपराध संख्या-463/2022 के मामले में आरोपी-अपीलकर्ता गुड्डू दुबे के अपराधिक अभिलेखों का उल्लेख किया गया है; अपराध संख्या-141/2025, 463/2022 और 50/2018 में रामलोचन दुबे @ हरिकांत; अपराध संख्या-141/2025 और 463/2022 के मामले में बद्री प्रसाद दुबे; अपराध संख्या-141/2025 और 463/2022 के मामले में मुन्नीलाल दुबे और अपराध संख्या-79/2018, 463/2022 और 141/2025 के मामले में पिंटू दुबे @ विनोद कुमार। अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि अपराध अपीलकर्ताओं द्वारा किया गया है और दिनांक 10.1.2025 का आक्षेपित आदेश कानून के अनुसार है और इसे बरकरार रखने का हकदार है।

6. प्रतिपक्षी संख्या-2 द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में अपीलकर्ताओं द्वारा दायर हलफनामे की सामग्री का जोरदार खंडन किया गया है और कहा गया है कि अपराध अपीलकर्ताओं द्वारा किया गया है।



7. अपीलकर्ताओं ने अपना प्रत्युत्तर हलफनामा दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है।

8. प्राथमिकी में सभी अपीलकर्ताओं के खिलाफ विशिष्ट आरोप हैं और विस्तृत जांच के बाद, अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसके बाद विचारण न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है।

9. अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता का यह तर्क कि धारा 161 द०प्र०स० के तहत दर्ज शिकायत और बयान में विरोधाभास हैं, समन जारी करने के प्रारंभिक चरण में मूल्यांकन नहीं की जा सकती है। प्रथम दृष्टया मामला अपीलकर्ताओं के खिलाफ बनता है। पक्षों द्वारा प्रस्तुत सबूतों की मूल्यांकन के बाद विचारण न्यायालय द्वारा कोई अंतिम निष्कर्ष दिया जा सकता है।

10. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 10.1.2025 के आक्षेपित आदेश में न तो कोई अवैधता है और न ही कोई अनियमितता है और आपराधिक अपील खारिज की जा सकती है।

11. तदनुसार, अपील **खारिज** की जाती है।

मार्च 30, 2026

वंदना

(न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद)